यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

ाल संख्या 182/2011 निर्णय दिनांक :–28.11.2024

नवानी दावा :

1. अब्दुल रहमान पुत्र अल्लाबन्दा जाति मुसलमान लोहार नि.घाड़
2. जन्नत पुत्री अल्लाबन्दा जाति मुसलमान लोहार नि.घाड़ तहसील देवली/दूनी जिला टोंक राज0

--वादीगण--

बनाम

1. श्रीमती नानगी पत्नी श्रवण जाति रेगर निवासी घाड़ तह0 देवली/दूनी जिला टोंक राज0
2. जमना लाल पुत्र श्रवण जाति रेगर निवासी घाड़ तह0 देवली/दूनी जिला टोंक राज0
3. गोपाल पुत्र श्रवण जाति रेगर निवासी घाड़ तह0 देवली/दूनी जिला टोंक राज0
4. मन्ना लाल पुत्र श्रवण जाति रेगर निवासी घाड़ तह0 देवली/दूनी जिला टोंक राज0
5. लड्डू लाल पुत्र श्रवण जाति रेगर निवासी घाड़ तह0 देवली/दूनी जिला टोंक राज0
6. छोटू लाल श्रवण जाति रेगर निवासी घाड़ तह0 देवली/दूनी जिला टोंक राज0
7. मेवा पुत्री श्रवण जाति रेगर निवासी घाड़ तह0 देवली/दूनी जिला टोंक राज0
8. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी किशन लाल रेगर निवासी घाड़ तह0 देवली/दूनी जिला टोंक राज0
9. तहसीलदार जी, देवली/दूनी तहसील दूनी जिला–टोंक

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–

श्री भगवान सिंह सोलंकी
श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 8
पेरोकार सरकार
प्रतिवादीगण संख्या 9

वाद बाबत् उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी साबिक खसरा नं0 544/2 रकबा 14 बीस्वा, हाल खसरा नं. 1013 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम घाड़ तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है उक्त आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व जमाबन्दी संम्वत 2031 से 2034 में वादीगण के पिता अलाबन्दा पुत्र भुरा कोम लोहार की खातेदारी में अंकित थी। अल्लाबन्दा की मृत्यु हो चुकी है तथा अब वादीगण ही स्वर्गीय अल्लाबन्दा के पुत्र व पुत्री एवं उताराधिकारी है जिनकी ओर से उक्त दावा पेश किया जा रहा है। वादीगण के पिता की उपरोक्त आराजीयात को देवली तहसील में हुए सेटलमेन्ट के दोरान गलती से प्रतिवादीगण 1 ता 8 के पिता व पति के नाम लगा दी गई जब कि उक्त आराजी स्वर्गीय अलाबन्दा की खातेदारी में होने के कारण नियमानुसार वादीगण जो उत्तराधिकारी व वारीस है उनके नाम नामांतकरण भरा जाकर उनकी खातेदारी में दर्ज की जानी चाहिए थी। लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान काफी अनियमितताएं एवं त्रुटियां हो जाने से वादीगण की भूमि भी गलती से प्रतिवादीगण 1 ता 8 के पिता/ पति के नाम लगा दी गई जब कि उक्त आराजी से उनका किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है मोके पर आज भी उक्त आराजी को वादीगण ही काश्त करते को आ रहे है। वादीगण की उपरोक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता/पति के नाम अंकित हो जाने से आपस में लगान आदि देने में विवाद होता है तथा प्रतिवादीगण भी बार बार वादीगण को कहते है कि तुम तुम्हारी जमीन को हमारे खाते से निकलवा को अन्यथा हम उक्त जमीन पर जबरन काश्त करेंगे ऐसी स्थिति में वादीगण को उक्त दावा पेश कर अपनी खातेदारी मे उदघोषित करवाना आवश्यक हुआ है। वादीगण को साबिक खसरा नं0 544 रकबा 14 बीस्वा, हाल खसरा नं0 1013 रकबा 0.33 है0 मे ते 0.12 है0

28.11.2024

मि का खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाये एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर वादीगण का नाम बतौर खातेदार अंकित किया जावे। एवं उक्त भूमि प्रतिवादीगण के खाते से कम की जावे। वादीगण की उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के खाते में अंकित हो जाने ते जब उक्त भूमि को हांकने जोतने बोने के समय आपस में विवाद हो जाता है तथा प्रतिवादीगण वादी के उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने तो है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण नं0 1 ता 8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदा सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायागंत है। अन्यया प्रतिवादीगण वादीण्गा की उक्त आराजी पर जबरन शक्ति के बल पर कब्जा कर काश्त करने में मजाहमत पैदा करेंगे जिससे वादीगण को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जितकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं होगा। बिनाय दावा आज से लगभग 10 दिन पूर्व पैदा हुआ जब वादीगण अपनी उक्त आराजी को सरसो की फसल काश्त करने गये तो प्रतिवादीगण ने मजाहमत पेदा की व बमुशिकल उक्त भूमि मे सरसो की फसल बोने दी इस कारण वाद कारण अब तक लगातार उत्पन्न हो रहा है। तहसीलदार जी देवली को लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। दावा तहत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ग्राम घाड़ के होने एवं विवादित आराजीयात ग्राम घाड में स्थित होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण नं0 1 ता 8 डिक्री फरमाया जावे कि :—

अः—वादीगण को साबिक खसरा नं0 544/2 रकबा 14 बीस्वा हाल खसरा नं0 1013 रकबा 0.33 है0 में से 0.12 है0 भूमि वाके ग्राम घाड तहसील देवली जिला टोंक का खातेदार काश्तकार उदाघोषित किया जावे एवं तद्नुसार राजस्व रिकार्ड मे वादीगण का नाम बतौर खातेदार अंकित किया जावे एवं प्रतिवादागण के खाते से उक्त भूमि कम की जाये।

बः— प्रतिवादीगण नं0 1 ता 8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदा सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जावे कि वे स्वयं जरिये ऐजेन्ट नौकर चाकर अथवा पारीवारिक सदस्यो के वादीगण को अपनी खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर साबिक 544 रकबा 14 बीस्वा हाल खसरा नं0 1013 रकबा 0.12 है0 को काश्त करने में कोई मजाहमत पेदा नंही करे।

सः— खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे।

व अन्य सहायता जो वादीगण के लाभप्रद हो दिलवाई जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया परन्तु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी जवाब नहीं देने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की ओर से जवाब बन्द किया गया और बाद में प्रतिंवादीगण असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादीगण संख्या 9 तहसीलदार केवल लेण्ड होल्डर होने व इनसे कोई उज्र नहीं होने से इनसे जवाब नहीं लिया गया है।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू—1 अब्दुल रहमान पुत्र अल्लाबन्दा जाति मुसलमान लोहार नि.घाड़ तहसील देवली/दूनी जिला टोंक राज0 व पी. डब्ल्यू—2 प्रहलाद पुत्र कल्याण जाति माली उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0 का पेश किया।

वादी ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः— प्रदर्श—1 जमाबन्दी संवत 2057—60 प्रदर्श—2 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श—3 नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श—4 साबिक जमाबन्दी सम्वत 2031—34 पेश किये। पेराकार सरकार ने साक्ष्य पी. डब्ल्यू—1 से जिरह की जो कलमबद्ध होकर शामिल पत्रावली है।

28.11.2024

साक्ष्य पी. डब्ल्यू–2 के अनुपस्थित रहने से इनके साक्ष्य शपथ पत्र को ग्राह्य नहीं माना है।

वादी द्वारा और साक्ष्य नहीं करवाये जाने से साक्ष्यवादी बन्द की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेराकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं करवाये जाने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो का ही दोहरान करते हुए वाद अुनसार निर्णय करने की प्रार्थना की।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत 2031–34 पेश की, जिसमें खातेदार अलाबन्दा पुत्र भूरा कोम लुहार सा. देह के नाम साबिक ख.नं. 544/2 रकबा 14 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड हैं। प्रदर्श–3 नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 ग्राम घाड़ में साबिक ख. नं. 544 रकबा 15 बिस्वा से हाल ख. नं. 1013 रकबा 0.33 है0 बनना दर्शित है। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2056–60 के अनुसार हाल ख. नं. 1013 रकबा 0.33 है0 श्रवण पुत्र माधो जाति रेगर सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

वादीगण अनुसार साबिक ख. नं. 544/2 रकबा 14 बिस्वा से हाल ख. नं. 1013 रकबा 0.33 है0 बने है। जबकि मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046–65 अनुसार साबिक ख. नं. 544 रकबा 15 बिस्वा से हाल ख. नं. 1013 रकबा 0.33 है0 बना है।

आदेश

अतः वादी द्वारा अपने वाद को मिलान क्षैत्रफल से साबित नहीं करने व संवत 2031–34 के बाद उतरोतर जमाबन्दी पेश नहीं करने के कारण वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 28.11.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली